


## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० ५२ / २०१४-१७

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से

संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
१५/३/१९	<p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के झापाक-२०७४/रा० दिनांक-१३.०५.२०१६</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा० म० निति-११९/८५/२३०८/रा० दिनांक ०३.०९.१९८५ एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जाच के कम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p style="text-align: center;">मौजा-अमाघाटा मौजा न०-०९ खाता न० २८ प्लॉट न० १३८ रकवा ०५ कटठा</p> <p>की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-११ के जिल्द संख्या ०२ के पृष्ठ संख्या २४३ पर जमाबंदी रैयत श्री/श्रीमति रजीत विश्वकर्मा के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>२७/३/१९</u> को रखे।</p>	 अचल अधिकारी, धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपास्थित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक  
20/6/20 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
काकापारा मौजा नं० 09 खाता 28 प्लॉट  
नं० 138 रकबा 05 फुट भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि मत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रेशत  
के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 1052 (11) 9394 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधित।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।